संख्या-139**/2025/684/41-2-2025**-CN-1792901

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 21 मार्च, 2025

विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 **के अनुदान संख्या**-44 **के अन्तर्गत राजस्व लेखाशीर्ष**-3452-**पर्यटन**-80-**सामान्य**-800-**अन्य व्यय**-03-**पर्यटन सूचना एवं प्रचार**-19-**विज्ञापन**, **विक्री एवं विख्यापन मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10618/4-1-1(बजट)/प्रचार/2024-25, दिनांक 11 मार्च, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति, 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में हो रही बचत से अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रचार-19-विज्ञापन, विक्री एवं विख्यापन मद हेतु रू0 800.00 लाख (रू0 आठ करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति, 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में हो रही बचत से अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रचार-19-विज्ञापन, विक्री एवं विख्यापन मद हेतु रू0 800.00 लाख के सापेक्ष रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से शासन के आदेश संख्या-आई/913950/41-2-2025-CN-1792901, दिनांक 21 मार्च, 2025 द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त धनराशि रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04-मार्च, 2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि 31.03.2025 के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20242025-41-2-2025-CN-1792901

विषय:-पुनर्विनियोग के माध्यम से ''लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रचार-19-विज्ञापन, विक्री एवं विख्यापन मद में धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452808001400 (पर्यटन नीति 2018 के अर्न्तगत पयर्टन इकाइयों को प्रोत्साहन)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	37,00,00,000 रुपये सैंतीस करोड़ मात्र	27,00,00,000 रुपये सत्ताईस करोड़ मात्र	8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	32,00,00,000 रुपये बत्तीस करोड़ मात्र	2024-2025
कुल					₹ 8,00,00,000	₹ 5,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452808000300 (पर्यटन सूचना और प्रचार)	19 (विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय)	30,00,00,000 रुपये तीस करोड़ मात्र	8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	35,00,00,000 रुपये पैंतीस करोड़ मात्र	2024-2025
कुल				₹ 8,00,00,000	₹ 5,00,00,000		

नोट-1- उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः- लेखाशीर्ष 3452- पर्यटन -80- सामान्य- 800- अन्य व्यय- 14- पर्यटन नीति- 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 4500.00 लाख का मूल प्राविधान किया गया है। अत: वर्तमान में उपलब्ध बचत रू0 1000.00 लाख से रू0 800.00 लाख के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है। उक्त तालिका में वर्णित अतिरिक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध धनराशि से अधिक धनराशि की आवश्यकता होने के कारण है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

4- वित्तीय वर्ष 2024-25 की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आंकलित है।

संख्या:RE-budget-1-714-E-7-375-X-2024-25-दिनांक:21-03-2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(मंजीत सिंह)
अनु सचिव,

संख्या-आई/913950/684/41-2-2025-CN-1792901/2025, दिनांक: 21 मार्च, 2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।